न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 600 / 2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

जसविन्द्र सिह पुत्र श्री हरबन्श सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

—वादी

बनाम्

1. बलदेव कौर पत्नी स्व. श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरबन्श सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. रूप सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. मनप्रीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरप्रीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. लवदीप कौर पुत्री श्री हरबन्श सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अमनदीप कौर पुत्री श्री हरबन्श सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सतनाम सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. गुरप्रीत कौर पुत्री श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महावीर बैरड़ — वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड — वकील प्रति.सं. 1 ता 10

निर्णय

दिनांक :— 12-1-2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी का चाचा, प्रतिवादीया सं. 4 व 5 वादी की बुआ, प्रतिवादीया सं. 6 व 7 वादी की बहिने एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 10 वादी के चचेरे भाई—बहिन है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी का चाचा, प्रतिवादीया सं. 4 व 5 वादी की बुआ, प्रतिवादीया सं. 6 व 7 वादी की बहिने एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 10 वादी के चचेरे भाई—बहिन है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के स्व. दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ाता सं. 8/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2/3 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि वं वादी के स्व. दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 10/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने. जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 7 व 10 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) वादी जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबन्ष सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 8/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.253 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 110/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.8855 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 8 व 9 क्रमषः हरप्रीत सिंह पुत्र श्री रूप सिंह एवं सतनाम सिंह पुत्र श्री रूप सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 8/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.253 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 110/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.8855 है. कृषि भूमि.

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 10 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 11 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी के स्व. दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 8/6 जमावन्दी सम्वत् 2070–73 में 2/3 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.253 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काष्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार एवं वादी के स्व. दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 110/83 जमावन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.8855 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.8855 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काष्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादी जसविन्द्र सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 3 बीजीपी खाता संख्या 8/6 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 व चक 1 बीजीपी खाता संख्या 110/83 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 बीजीपी खाता संख्या 8/6 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 व चक 1 बीजीपी खाता संख्या 110/83 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में स्व. सुखदेव सिह पुत्र जगर सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार स्व. सुखदेव सिह पुत्र जगरसिह के नाम चक 3 बीजीपी खाता संख्या 8/6 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 व चक 1 बीजीपी खाता संख्या 110/83 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति इकबाल दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:— मुताबिक बंटवारा वादी के स्व. दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 8/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2/3 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.253 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा का नाम कलमजन किये जाने तथा इसी प्रकार एवं वादी के स्व. दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 110/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.8855 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 0.8855 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12-1-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया